रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 188] नई दिल्ली, सोमवार, जून 13, 1977/ज्येष्ठ 23, 1899
No. 188] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 13, 1977/JYAISTHA 23, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 13th June 1977

G.S.R. 275(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 86/77-Central Excises, dated the 9th May, 1977, namely —

In the said notification—

(a) for the words "as is in excess of the duty for the time being leviable on the base acrylic yarn", the words "as is in excess of ten rupees per kilogram" shall be substituted,

(b) the following proviso shall be inserted at the end, namely —

'Provided that if it is proved to the satisfaction of the proper officer that such textured acrylic yarn was produced out of acrylic yarn on which the duty of excise has already been paid, such textured acrylic yarn shall be exempt from the whole of the duty of excise leviable thereon ".

[No. 111/77]

G K. PILLAI, Under Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 13 जून, 1977

सा० का० नि० 275(अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना स० 86 77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 मई, 1977 मे निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना मे,—

(क) "जितना आधारी एक्रिलिक सूत पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक है" शब्दो के स्थान पर, "जितना दस रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक है" शब्द रखे जायेंगे;

(ख) अन्त मे निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किय जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यदि समुचित अधिकारी के समाधानप्रद रूप मे यह साबित कर दिया जाता है कि ऐसा तन्तुकृत एक्रिलिक सूत ऐसे एक्रिलिक सूत मे से उत्पादित किया गया था जिस पर उत्पाद-शुल्क पहले ही सदत्त किया जा चुका है तो ऐसे तन्तुकृत एक्रिलिक सूत को, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट दी जाएगी ।" ।

[स० 111 77]

जी० के० पिल्ले, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1977